कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 1440/11–सी–यूपी/041/2015 , दिनांक, लखनऊ, जनवरी 12, /2016

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
मिरजापुर वन प्रभाग,
मिरजापुर।

विषय– जनपद मीरजापुर में वाराणसी–शक्तिनगर मार्ग (एस0एच0–5) किमी0 संख्या–05.050 से किमी0 संख्या–10.050 तक के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं विद्युत पोल शिफिटंग हेतु 9.00 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 672 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ– आपके कार्यालय पत्र संख्या–1897/मीरजापुर/33, दिनांक–04.01.2016

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयांकित प्रकरण में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में निहित 6 शर्तो में से केवल शर्त संख्या–1 व 2 की अनुपालना ही प्रेषित की गई है।

इस कार्यालय के पत्रांक–1232/11–सी–यूपी0–041/2015, दिनांक–08.12.2015, जिसका उल्लेख आप द्वारा सन्दर्भित पत्र में किया गया है, द्वारा आपसे शर्तवार अनुपालन आख्या दो प्रतियों में उपलब्ध कराये जाने की आपेक्षा की गई थी।

आप शर्तवार अनुपालना निर्देशों के उपरान्त भी प्रेषित न करते हुए प्रयोक्ता द्वारा दी गई अनुपालन आख्या संलग्न की गई है। कृपया तत्काल शर्तवार अनुपालन आख्या प्रेषित करें, जिससे की प्रकरण विधिवत् स्वीकृति हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, भारत सरकार को सन्दर्भित किया जा सके।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

12/1/16

(डा0 राजीव कुमार गर्ग)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– 1440 / दिनांकित।

प्रतिलिपिः– मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र मिरजापुर के सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0 राजीव कुमार गर्ग)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
उ0प्र0, लखनऊ।

EAR.RAR.46